

# न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या 58/2017 खाद्य सुरक्षा  
उनवान प्रकरण

सरकार जरिये संजय सिंह  
तत्कालीन खाद्य सुरक्षा  
अधिकारी, कार्यालय मुख्य  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य  
अधिकारी, कोटा

बनाम

1. श्री सत्यनारायण बांगड पुत्र मदनलाल बांगड विक्रेता/मालिक मैसर्स - सांवरिया ट्रेडिंग कम्पनी बाजार नं. 2, भीलवाडा, स्थाई पता - मकान सं. 23/136, शास्त्रीनगर भीलवाडा
2. श्री सत्यनारायण मालू पुत्र मूलचन्द मालू (मालिक), मैसर्स - आजाद एजेन्सीज, बी.एल.सोनी प्लॉजा एलएनटी रोड, भीलवाडा, स्थाई पता - 28-31/डी श्याम विहार, हरणी महादेव रोड, शास्त्रीनगर, भीलवाडा
3. श्री नन्दलाल जैन पुत्र कन्हैयालाल जैन, मालिक, मैसर्स - नन्दलाल यशवन्त कुमार स्टॉकिस्ट- विजय सोलवेक्स लिमि. (स्कूटर ब्राण्ड) शॉप नं. 60, न्यू कृषि उपज मण्डी, उदयपुर- 313002, स्थाई पता - मकान नं. 06, हिरण मगरी मेन रोड सैक्टर 4, मनवाखेडा, उदयपुर 313002
4. श्री आशीष प्रसाद पुत्र दयानन्द अग्रवाल नोमिनी मैसर्स विजय सोलवेक्स लिमि. रजि. ऑफिस भगवती सदन, स्वामी दयानन्द मार्ग, अलवर 301001, स्थाई पता - 1/59, शान्तिकुंज अलवर
5. कम्पनी मैसर्स विजय सोलवेक्स लिमि. रजि. ऑफिस भगवती सदन, स्वामी दयानन्द मार्ग, अलवर 301001

- प्रार्थी

—विपक्षी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 51

उपस्थित-

- 1 प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार
- 2 श्री के.सी.काष्ट अधिवक्ता - विपक्षी सं. 01, 03,04,05 की ओर से
3. विपक्षी सं. 02 उपस्थित नहीं

आदेश

दिनांक 05.08.2019

शासन उप सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प-1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के

फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर ने विपक्षी के विरुद्ध एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया हैं कि विपक्षी श्री सत्यनारायण बांगड पुत्र मदनलाल बांगड विक्रेता/मालिक मैसर्स - सांवरिया ट्रेडिंग कम्पनी बाजार नं. 2, भीलवाडा, स्थाई पता - मकान सं. 23/136, शास्त्रीनगर भीलवाडा पर निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को उपयोग हेतु वनस्पति घी, तेल, धनिया पाउडर व अन्य किराना सामग्री आदि का विक्रय कर रहा था। श्री सत्यनारायण बांगड पुत्र मदनलाल बांगड विक्रेता/मालिक मैसर्स - सांवरिया ट्रेडिंग कम्पनी बाजार नं. 2, भीलवाडा, स्थाई पता - मकान सं. 23/136, शास्त्रीनगर भीलवाडा का निरीक्षण करने पर पाया गया कि विक्रेता की दुकान पर वनस्पति ब्राण्ड स्कूटर के 500-500 एमएल के 20 पैकेट रखे हुये थे। मिलावट एवं मिसब्राण्ड का शक होने पर एफएसएसए 2006 एक्ट के तहत उल्लेखित प्रावधानों के तहत नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना कारोबारकर्ता को फॉर्म 5 ए में दी व रसीद प्राप्त की। नियमानुसार वनस्पति ब्राण्ड स्कूटर का नमूना लेकर वास्ते जाँच हेतु नियमानुसार खाद्य प्रयोगशाला अजमेर को भिजवाया। बाद जाँच नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। न्याय निर्णयन आवेदन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने हेतु स्वीकृति प्राप्त कर प्रार्थी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन पत्र के साथ न्याय निर्णयन आवेदन, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति, पदस्थापन आदेश की प्रति, फार्म 5-A की प्रति, रसीद नमूना खरीद मूलप्रति, मौका फर्द प्रति, खाद्य लाईसेंस की छायाप्रति, खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को वास्ते जाँच जमा करवाने के प्रेषित पत्र एवं नमूना जमा होने की प्राप्ति रसीदे, फॉर्म-6 मेमोरेण्डम, फर्म के संविधान संबंधित पत्र, खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा प्राप्त नमूना जाँच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र, अभिहित अधिकारी को पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बाबत लिखे गये पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।

न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 20.10.2016 को समय 04.10 PM बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौराने चैकिंग हेतु श्री सत्यनारायण बांगड पुत्र मदनलाल बांगड विक्रेता/मालिक मैसर्स - सांवरिया ट्रेडिंग कम्पनी बाजार नं. 2, भीलवाडा, स्थाई पता - मकान सं. 23/136, शास्त्रीनगर भीलवाडा पर पहुंचा। मैंने विक्रेता को परिचय दिया परिचय पत्र दिखाया एवं विक्रेता का परिचय लिया इस समय दुकान पर पर खाद्य विक्रेता/मालिक की हैसियत से श्री सत्यनारायण बांगड पुत्र मदनलाल बांगड स्थाई पता - मकान सं. 23/136, शास्त्रीनगर भीलवाडा था एवं आम जनता के उपयोग हेतु वनस्पति ब्राण्ड स्कूटर विक्रय कर रहा था। विक्रेता/मालिक से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य लाईसेंस मांगा गया। विक्रेता/मालिक द्वारा खाद्य लाईसेंस नही होना बताया गया। शीघ्र आवेदन कर पेश करने बाबत कहा गया।

मौके पर गवाह व विक्रेता की उपस्थिति में 140/-रु. नगद देकर 500-500 एमएल के 4 पैकेट पैक्ड हालत में लोट नं. 53 के वास्ते जांच खरीदा एवं रसीद प्राप्त की। गवाह व विक्रेता के सामने चार लेबल तैयार किये गये। जिस पर डी. ओ. कोड व सीरियल नम्बर एक्स - 210 नाम, पता, वस्तु का नाम, नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक डाले गये। प्रत्येक नमूना भाग के लिए उक्त लेबल तैयार कर गोंद से

चिपकाये। प्रत्येक नमूना भाग को खाकी कागज में लपेटकर, दोनों सिरों को मोड़कर, गोंद से चिपका कर, मोटे मजबूत धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। नियमानुसार मौका फर्द तैयार कर सभी के हस्ताक्षर करवाये गये।

खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिपोर्ट सं. एल.एस./588/एक्ट/2016/643 दिनांक 08.11.2016 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना निर्धारित मानक कोटि का नही होने के कारण सबस्टैण्डर्ड (SUBSTANDARD) होना पाया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने बाबत अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा में पेश किया।

जिस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा प्रार्थी को अधिकृत किया और आदेश दिया कि इस प्रकरण से सम्बन्धित मूल कागजात एवं सम्बन्धित कारोबारकर्ता को नियम 2.4.6(1) के तहत प्रस्तुत रजिस्टर्ड पत्र एवं रजिस्टर्ड डाक की पोस्टल रसीद भी मूल प्रति सहित न्याय निर्णयन आवेदन के साथ प्रस्तुत कर अंकित किया है कि विपक्षी श्री सत्यनारायण बांगड पुत्र मदनलाल बांगड विक्रेता/मालिक मैसर्स - सांवरिया ट्रेडिंग कम्पनी बाजार नं. 2, भीलवाडा, स्थाई पता - मकान सं. 23/136, शास्त्रीनगर भीलवाडा द्वारा सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय एवं निर्माण कर एफएसएस की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। खाद्य नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण इस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा के पत्र द्वारा प्रार्थी को न्याय निर्णयन अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 09.10.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 16.11.2017 को कार्यालय हाजा में स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। विपक्षी सं. 01, 04 एवं 05 की ओर से जवाब पेश किया गया। प्रार्थी पैरोकार एवं विपक्षी सं. 1,3,4,5 के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। विपक्षी सं. 03 ने जबाब पेश नहीं किया। विपक्षी सं. 02 बावजूद सम्मन तामिल के उपस्थित नहीं हैं।

विभागीय पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षी का खाद्य नमूना वनस्पति ब्राण्ड स्कूटर सब स्टैण्डर्ड होना पाया गया है। प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार लिये गये खाद्य नमूने वनस्पति Baudouin test (When tested as per rule). **Negative** पाया गया, जबकि स्टैण्डर्ड मात्रा **Positive. Not Less than 2.0 red units on Lovibond scale.** होना चाहिए। इसलिए लिये गया खाद्य नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया एवं विपक्षी द्वारा सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। प्रार्थी की ओर से न्याय निर्णयन आवेदन पत्र विपक्षी के विरुद्ध जुर्माना आरोपित करते हुये आवेदन पत्र का निर्णय कराने की प्रार्थना की है। खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं



स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा नमूना लिये जाने वाली फर्म को रजिस्टर्ड पत्र मय जाँच रिपोर्ट प्रेषित करते हुये पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के समय देते हुये नोटिस दिया गया, किन्तु नमूना लिये जाने वाली फर्म द्वारा जाँच रिपोर्ट के खण्डन में किसी भी प्रकार की अपील हेतु आवेदन नहीं किया गया जिससे प्रतीत होता है कि विपक्षी जाँच रिपोर्ट से संतुष्ट है।

विपक्षी सं. 1,3,4,5 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि लिया गया सैम्पल की जांच में Baudouin test पर नेगेटिव पाया गया, इस संबंध में जांच के दौरान विधि का उल्लेख नहीं किया गया है कि किस विधि के तहत सब स्टैण्डर्ड होना पाया गया है? एवं कितना प्रतिशत नेगेटिव है? इसकी रिपोर्ट भी अंकित नहीं है। अप्रार्थी सं. 01 पैकिंगशुदा वनस्पति ब्राण्ड स्कूटर के पैकेट जिस स्थिति में खरीदता है उसी स्थिति में बेचता है। किसी प्रकार की मिलावट अप्रार्थी सं. 01 द्वारा नहीं की गयी। प्रार्थी द्वारा कोई साक्ष्य एवं दस्तावेज प्रदर्श प्रस्तुत नहीं किये हैं। निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिपोर्ट सं. एल.एस./588 /एक्ट/2016/643 दिनांक 08.11.2016 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण सबस्टैण्डर्ड (SUB STANDARD) होना पाया गया। प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार पाया गया कि लिये गये खाद्य नमूने वनस्पति Baudouin test (When tested as per rule). Negative पाया गया, जबकि स्टैण्डर्ड मात्रा Positive. Not Less than 2.0 red units on Lovibond scale. होना चाहिए। होना चाहिए। इसलिए लिया गया खाद्य नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया एवं विपक्षी द्वारा सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विपक्षी सं. 01 से लगायत 05 सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ वनस्पति ब्राण्ड स्कूटर विक्रय करने के लिये दोषी है। इस प्रकार विपक्षी सं. 01 से लगायत 05 द्वारा सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय किया है जो कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एवं जिसका जुर्माना धारा 51 में वर्णित है। इस कृत्य के लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है।

उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुये विपक्षी सं. 01 से लगायत 05 को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का विपक्षी द्वारा उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत विपक्षी सं. 01 पर 15,000/-रूपये (अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये),

विपक्षी सं. 02 पर 30,000/—रूपये (अक्षरे तीस हजार रूपये), विपक्षी सं. 03 पर 40,000/—रूपये (अक्षरे चालीस हजार रूपये) तथा विपक्षी सं. 04 पर 1,50,000/—रूपये (अक्षरे एक लाख पचास हजार रूपये), विपक्षी सं. 05 पर 1,50,000/—रूपये (अक्षरे एक लाख पचास हजार रूपये) शास्ति आरोपित की जाती है। विपक्षी सं. 01 से लगायत 05 उपरोक्त शास्ति निर्णय दिनांक के 90 दिवस के अन्दर कैशियर जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में जमा करा कर रसीद प्राप्त करे।

निर्णय आज दिनांक 05.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



न्याय निर्णय अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा  
भीलवाडा (राज.)

प्रतिलिपि:— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

- 1 खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक(जनस्वास्थ्य)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए राजस्थान जयपुर
- 2 अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा
- 3 कैशियर, जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा
- 4 श्री सत्यनारायण बांगड पुत्र मदनलाल बांगड विक्रेता/मालिक मैसर्स — सांवरिया ट्रेडिंग कम्पनी बाजार नं. 2, भीलवाडा, स्थाई पता — मकान सं. 23/136, शास्त्रीनगर भीलवाडा को भेजकर लेख हैं कि उक्त शास्ति राशि चालान द्वारा जमा करा , चालान कैशियर जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में प्रस्तुत करे।
- 5 श्री सत्यनारायण मालू पुत्र मूलचन्द मालू (मालिक), मैसर्स — आजाद एजेन्सीज, बी.एल.सोनी प्लॉजा एलएनटी रोड, भीलवाडा, स्थाई पता — 28-31/डी श्याम विहार, हरणी महादेव रोड, शास्त्रीनगर, भीलवाडा को भेजकर लेख हैं कि उक्त शास्ति राशि चालान द्वारा जमा करा , चालान कैशियर जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में प्रस्तुत करे।
- 6 श्री नन्दलाल जैन पुत्र कन्हैयालाल जैन, मालिक, मैसर्स — नन्दलाल यशवन्त कुमार स्टॉकिस्ट— विजय सोलवेक्स लिमि. (स्कूटर ब्राण्ड) शॉप नं. 60, न्यू कृषि उपज मण्डी, उदयपुर— 313002, स्थाई पता — मकान नं. 06, हिरण मगरी मेन रोड सैक्टर 4, मनवाखेडा, उदयपुर 313002 को भेजकर लेख हैं कि उक्त शास्ति राशि चालान द्वारा जमा करा , चालान कैशियर जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में प्रस्तुत करे।
- 7 श्री आशीष प्रसाद पुत्र दयानन्द अग्रवाल नोमिनी मैसर्स विजय सोलवेक्स लिमि. रजि. ऑफिस भगवती सदन, स्वामी दयानन्द मार्ग, अलवर 301001, स्थाई पता — 1/59, शान्तिकुंज अलवर को भेजकर लेख हैं कि उक्त शास्ति राशि चालान द्वारा जमा करा , चालान कैशियर जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में प्रस्तुत करे।
8. कम्पनी मैसर्स विजय सोलवेक्स लिमि. रजि. ऑफिस भगवती सदन, स्वामी दयानन्द मार्ग, अलवर 301001 को भेजकर लेख हैं कि उक्त शास्ति राशि चालान द्वारा जमा करा , चालान कैशियर जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में प्रस्तुत करे।

न्याय निर्णय अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा  
भीलवाडा (राज.)